## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम लक्ष्मणगढ

## पियूष वगै0 बनाम पवन वगै0

## प्रा0 पत्र 212 आर0टी0एक्ट0 (स्थगन प्रा0 पत्र)

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ |
|---|---|---|
| 07.07.2021 | आज यह प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट वकील सायल द्वारा उपस्थित न्यायालय होकर मूल वाद के साथ पेश किया, कार्यालय रिपोर्ट ली गई। सायल ने प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र, जमाबंदी संवत् 2072–2075 व अन्य दस्तावेजात की फोटो प्रति पेश कर गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया।<br>हमने अधिवक्ता सायल की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के साथ पेश दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या केस एवं सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष में होना प्रतीत होता है । अतः गैरसायलान को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी तारीख पेशी दिनांक 24.08.2021 तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0नं0 हाल 14 रकबा 0.8345 है0, ख0नं015 रकबा 0. 5400 है0, ख0नं0 20/1585 रकबा 0.4200 ख0नं0 21 रकबा 0.5400 है0 किता 4 कुल रकबा 2.3500 है0 का 1/2 हिस्सा एवं आ0ख0 13 रकबा 0.8725 है0 का 1/2 हिस्सा आराजी वाके ग्राम रामबास तहसील गोविंदगढ में सायल के शान्तमय कब्जा काश्त करने में रूकावट मजामत पैदा नही करें जबरन सायल को बेदखल नहीं करें, ना उक्त आराजी को किसी दीगर व्यक्ति को रहन बय मुनतकिल करें। अप्रार्थी संख्या 05 उपपंजियक गोविंदगढ को पाबंद किया जाता है कि उक्त विवाद ग्रस्त आराजी का कोई बेचान संबंधी दस्तावेज पंजीबद्ध ना करे व नामानतरण दर्ज ना करें। मौके और राजस्व अभिलेख की स्थिति यथावत रखें। यदि उक्त आदेश की पालना में कोई ऐतराज हो तो नियत दिनांक 24.08.2021 को उपस्थित न्यायालय होकर जाहिर करें कि क्यो ना उक्त आदेश ताफैसला दावा संपुष्ट कर दिया जावे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। गैरसायलान को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब कर दिनांक 24.08.2021 को पेश हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>लक्ष्मणगढ, अलवर | |

24/8/21 - पत्रावली पेश वकील प्रार्थी उपस्थित तलबी अप्राप्त। पुनः तलबी हेतु तलबाना पेश करें तब तक पूर्व आ० की अवधि को बढ़ाया जाता है। पत्रावली दिनांक 15/9/21 को पेश हो।

फर्द अहकाम

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ जिला अलवर

......पियूष ~~[illegible]~~...... बनाम ......पवन वगैरह......

प्रकरण सं......21/96/2021...... तारीख रजू......15.11.2021......

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ |
|---|---|---|
| 06.2.24 | पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थना पत्र -212 दीवानीवादी से असामी सं. 1806 की तलबी में है। तलबी हेतु अनेक अवसर दिये गये हैं। आदेशिका दिनांक 18.10.21 मे तलबी हेतु पुन तलबाना पेश करने के आदेश प्रदान किये गये है। इसके उपरांत आदिनांक तक पुन तलबाना पेश नही किया गया है।<br>सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 05 के आलोक में ~~इस आवे~~ प्रार्थना पत्र -212 RTA खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है अत: प्रार्थना पत्र-212 RTA सि.प्र.सं. के आदेश 9 नियम 05 के आलोक में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल तकमील मूल पाद के साथ संलग्न हो।<br>[signature]<br>उपखण्ड अधिकारी<br>गोविन्दगढ़ (अलवर) राज० | |